राजेश्वर प्रसाद आदि विरूद्ध जयसिंह आदि

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक निग0 2615-दो / 14 जिला – सिंगरोली

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
5.8.14	प्रकरण का अवलोकन किया एवं आवेदक अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता के बिंदु पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया । यह प्रकरण वर्ष अधीनस्थ न्यायालय के 8–10–93 के आदेश के विरूद्ध दिनांक 30.6.14 को अर्थात 19 वर्ष बाद प्रस्तुत किया गया है । आवेदक अधिवक्ता द्वारा विलंब क्षमा का जो आवेदन दिया गया है उसमें गांव में चर्चा के दौरान अनावेदकों द्वारा आलोच्य आदेश के संबंध में कहे जाने पर जानकारी होना बताया गया है । आवेदक द्वारा दिया गया उक्त आधार 19 वर्ष के विलंब को क्षमा करने हेतु समाधान कारक प्रतीत नहीं होता है । परिणामतः यह का पर्याप्त आधार नहीं है । परिणामतः यह निगरानी अवधि बाह्य होने से अग्राह्य की जाती है । आवेदक सूचित हों । (एम.के.सिंह) सदस्य, राजस्व मंडल, म.प्र.,ग्वालियर	

.6.14

न्यायालय श्रीमान् म0प्र0 राजस्व मण्डल ग्वालियर सर्किट कोर्ट रीवा म0प्र0

निगरानी प्रकरण क्रमांक /2014

R 2615-II/14

Rs. 20/-

1- राजेश्वर प्रसाद पाण्डेय तनय नर्मदा प्रसाद पाण्डेय

2- ओमप्रकाश तनय प्रभाकर दोनों निवासीगण ग्राम नौढिया, तहसील चितरंगी जिला सिंगरौली म0प्र0

------- आवेदकगण/निगराकारगण

बनाम

1- जय सिंह तनय यदुवर सिंह निवासीग्राम मेंगुरा, तहसील चितरंगी, जिला सिंगरौली म0प्र0

2- हरिमंगल ।

3- रोशन । तनय सुमेर सिंह गोंड़ निवासीग्राम मुवेर, तहसीलव जिला सिंगरौली म.प्र. ------------ अनावेदकगण/ गैरनिगराकारगण